रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939
No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASADHA 6, 1939

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2017

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2017

फा.सं. 37–1/डी–/एसडीसी/एनईईएम/2017 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फाईल संख्या फा. सं. 37–3/विधिक/अभातषिप/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के माध्यम से भारत का राजपत्र में प्रकाषित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} विनियम, 2013" तथा फा. सं. 37–3/विधिक/अभातषिप/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के माध्यम से भारत का असाधारण राजपत्र में प्रकाषित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} विनियम, 2013" (प्रथम संषोधन) के अधिक्रमण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

1.0		**संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :**
	1.1	इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} विनियम, 2017 है।
	1.2	ये विनियम किसी भी सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों तथा {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम)} के अन्तर्गत सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक विष्वविद्यालयों पर लागू होंगे।
	1.3	ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.0 उद्देश्य

2.1 राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम) का उद्देष्य तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में स्नातकोत्तर/स्नातक/डिप्लोमा करने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने या 10वीं कक्षा के पष्चात् पढ़ाई छोड़ने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु उसको कार्य पर प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3.0 राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) सुविधा प्रदाता की पात्रता

3.1 कोई सोसाईटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्रीय सरकार के निकाय/राज्य सरकार के निकाय/सरकारी संस्थान एवं विष्वविद्यालय एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु पात्र होंगे

3.2 एनईईएम सुविधा प्रदाता कम से कम पांच वर्ष से प्रषिक्षण देने में कार्यरत होना चाहिए अथवा एनईईएम के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु मूल कंपनी जिस के अधीन धारा 25 कंपनी/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधनों के अंतर्गत बनाई गई कंपनी कम से कम पांच वर्षों से प्रषिक्षण देने में कार्यरत होनी चाहिए।

3.3 एनईईएम सुविधा प्रदाता का कारोबार एवं एनईईएम के उद्देष्यों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रषिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नानुसार होनी चाहिए।

क्रम संख्या	पिछले तीन वित्तीय वर्शों से प्रति वर्ष कारोबार (टर्नओवर)	प्रति वर्श प्रशिक्षण क्षमता
1.	25 तथा अधिक	5,000
2.	15–25	3,000
3.	5–15	1,000

3.4 एनईईएम सुविधा प्रदाता को अनुमोदित एनईईएम सुविधा प्रदाता बनने के लिए अभातषिप में पंजीकरण कराना होगा

3.5 एनईईएम सुविधा प्रदाता को पंजीकरण कराने हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये डाटा के साथ–साथ पंजीकरण के लिए परिषिष्ट–I में दिये गये प्रपत्र अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

3.6 एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों को इस विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दिये आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना सही है, और यदि भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पायी गई, तो इस सूचना के आधार पर एनईईएम सुविधा प्रदाता के तौर पर किया गया उनका पंजीकरण रोका जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है तथा दण्डात्मक एवं सिविल कार्रवाई की जा सकती है।

3.7 यदि सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत पंजीकृत

		किसी सदस्य अथवा किसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के विरूद्ध सतर्कता जांच सहित कोई जांच चल रही है अथवा पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोई आपराधिक जांच/अभियोजन चल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन करने अथवा अनुमोदन पाने के लिए पात्र नहीं होगी
	3.8	धारा 3.2, 3.3 तथा 3.6 सरकारी संस्थाओं/विष्वविद्यालयों/सरकारी केन्द्रों/ कौषल विकास प्रषिक्षुता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित सैक्टर कौषल परिषदों पर लागू नहीं होगा।
4.0		**एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षु की पात्रता**
	4.1	एनईईएम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति, को एनईईएम के अंतर्गत प्रषिक्षु (ट्रेनी) कहा जाएगा
	4.2	एनईईएम के अंतर्गत प्रषिक्षण का इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण कराने की तिथि को 16 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
	4.3	एनईईएम के अंतर्गत प्रषिक्षण का इच्छुक व्यक्ति वर्तमान में किसी तकनीकी अथवा गैर तकनीकी विधा में **स्नातकोत्तर**/स्नातक/डिप्लोमा कर रहा होना चाहिए अथवा वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने **10वीं कक्षा के पश्चात्** पढ़ाई छोड़ दी हो।
	4.4	वह एनईईएम द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा करता हो ।
5.0		**एनईईएम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुबंध (संविदा) के मानक**
	5.1	एनईईएम सुविधा प्रदाता तथा एनईईएम प्रषिक्षु के मध्य संबंध को शासित किए (चलाए) जाने हेतु एक अनुबंध (संविदा) हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी
	5.2	परिषिष्ट–II में दिये गये प्रपत्र के अनुसार बनाए अनुबंध (संविदा) पत्र में वर्णित एनईईएम प्रषिक्षु की प्रवेष की तिथि से एनईईएम प्रषिक्षण आरंभ माना जाएगा
	5.3	एनईईएम अनुबंध (संविदा) रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र अथवा रोजगार की गारंटी अथवा रोजगार नहीं होगा ।
	5.4	प्रषिक्षु को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक/वृत्तिका (स्टाइपंड) एक समेकित राषि होगी तथा इसमें से नियमित रोजगार के मामले में लागू कोई कटौतियां इत्यादि नहीं होगी ।
6.0		**प्रशिक्षण की अवधि**
	6.1	एनईईएम प्रषिक्षण एनईईएम सुविधा प्रदाता के पास पंजीकृत किसी पंजीकृत कंपनी/उद्योग में दिया जाएगा
	6.2	एनईईएम प्रषिक्षण कम से कम 3 महीने का तथा अधिकतम **36 महीने** का होगा और प्रषिक्षण का **एनएसक्यूएफ द्वारा अनुपालित** होना अनिवार्य।
	6.3	एनईईएम प्रषिक्षण की अवधि उद्योग अथवा व्यापार (ट्रेड) की प्रकृति, जहां पर एनईईएम प्रषिक्षु यह प्रषिक्षण लेने हेतु कार्यरत् है, के अनुसार निर्धारित की जाएगी तथा यह पूर्णतया एनईईएम सुविधा प्रदाता के विवेक पर आधारित होगी
7.0		**प्रशिक्षण अनुबंध (संविदा) की समाप्ति**

	7.1	एनईईएम प्रषिक्षु तथा एनईईएम सुविधा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध (संविदा) पत्र में वर्णित प्रषिक्षण अवधि के पूरा होने पर प्रषिक्षण का अनुबंध समाप्त माना जाएगा
	7.2	दूसरे पक्ष (पार्टी) को 30 दिन का लिखित अग्रिम नोटिस देकर कोई भी पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है
	7.3	एनईईएम प्रषिक्षु के किसी गैर कानूनी आचरण अथवा कंपनी/उद्योग की नीतियों का पालन न करने अथवा एनईईएम प्रषिक्षु के लिए अधिसूचित प्रषिक्षण अवधि में बार–बार अनुपस्थित रहने पर एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा प्रषिक्षु के प्रषिक्षण अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है
	7.4	एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का अनुपालन न करने पर एनईईएम प्रषिक्षु 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर एनईईएम सुविधा प्रदाता के साथ अनुबंध को समाप्त कर सकता है
	7.5	एनईईएम प्रषिक्षु, जिस एनईईएम सुविधा प्रदाता अथवा कंपनी/उद्योग में अनुबंध के साथ प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा है, वह उससे इस प्रषिक्षण अनुबंध के अंतर्गत रोजगार का अनुबंध नहीं कर सकता
8.0		**एन.ई.ई.एम. के अंतर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य से निर्धारित टड एवं उद्योग**
	8.1	ऑटोमोबाईल तथा ऑटो घटक
	8.2	रसायनिक एवं भेषजी (कैमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स)
	8.3	अणु विद्युत (इलेक्ट्रोनिक्स) तथा हार्डवेयर
	8.4	वस्त्र एवं परिधान
	8.5	चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं
	8.6	रत्न एवं आभूषण
	8.7	भवन एवं निर्माण
	8.8	खाद्य प्रसंस्करण
	8.9	हथकरघा एवं हस्तषिल्प
	8.10	मूल संपदा, भवन हार्डवेयर तथा गृह सज्जा
	8.11	आई.टी.एस. अथवा सॉफ्टवेयर सेवाएं
	8.12	आई.टी.ई.एस.–बी.पी.ओ. सेवाएं
	8.13	पर्यटन आतिथ्य तथा यात्रा उद्योग (ट्रेवल ट्रेड)
	8.14	परिवहन, संभार/वेयर हाऊसिंग तथा बाधंना जुड़ना (पैकेजिंग)
	8.15	संयोजित खुदरा
	8.16	संचार (मीडिया) मनोरजंन, प्रसारण, सामग्री निर्माण तथा चल चित्र (एनिमेषन)
	8.17	स्वास्थ्य देख रेख (हैल्थकेयर) सेवाए
	8.18	बैकिंग/बीमा एवं वित्त
	8.19	षिक्षा/कौषल विकास सेवाएं
	8.20	एफ.एम.सी.जी., उपभोक्ता टिकाऊ (डुरेबल) सामान
	8.21	दूरसंचार एवं दूरसंचार अवसंरचना (टेलिकॉम एवं टेलिकॉम अवसंरचना)
	8.22	बहु–कौषल निर्माण
	8.23	अन्य कोई
9.0		**एनईईएम प्रशिक्षुओं का प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) एवं मौलिक प्रशिक्षण**
	9.1	प्रत्येक एनईईएम प्रषिक्षु को नियोक्ता/कंपनी/उद्योग के परिसर में अथवा चयनित ट्रेड की

IndiaCode

		आवष्यकता अनुसार, क्षेत्रगत संचालन में ट्रेड संबंधी गहन प्रषिक्षण प्रदान किया जाएगा
	9.2	एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा व्यावहारिक प्रषिक्षण के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली, मौलिक योजना के लिए उपयोगी, सैटेलाईट तथा अन्य अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी
	9.3	एनईईएम परियोजना के अंतर्गत प्रषिक्षण पाने वाले एनईईएम प्रषिक्षुओं को एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत निर्धारित अथवा राष्ट्रीय कौषल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित अनुदेषों, तथा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का अनुपालन करना होगा
	9.4	एनईईएम प्रषिक्षुओं के प्रषिक्षण को पूरा करने हेतु एनईईएम सुविधा प्रदाता विभिन्न प्रषिक्षकों तथा नियोक्ताओं/कंपनी/उद्योग के पार्टनर होंगे
10.0		**प्रशिक्षुओं का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा एवं कल्याण**
	10.1	एनईईएम सुविधा प्रदाता प्रषिक्षण के दौरान प्रषिक्षुओं के कल्याण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं का ध्यान रखना सुनिषिचत करेंगे तथा इस हेतु यथालागू अधिनियमों एवं आवष्यक प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
11.0		**कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टी एवं अवकाश**
	11.1	प्रषिक्षण प्राप्त करने वाले प्रषिक्षु के साप्ताहिक एवं दैनिक कार्य घंटे प्रषिक्षण देने वाले नियोक्ता/कंपनी/उद्योग की नीति के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे।
	11.2	किसी भी प्रषिक्षु को प्रषिक्षण के लिए निर्धारित कार्य घंटों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट पर्यवेक्षक प्राधिकारी की बिना अनुमति के, अन्य अतिरिक्त कार्य पर नहीं लगाया जाएगा
	11.3	प्रषिक्षु प्रषिक्षण देने वाले प्रतिष्ठान में मिलने वाले अवकाष तथा निर्धारित की गई छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।
12.0		**चोट लगने पर एन.ई.ई.एम. सुविधा प्रदाता का मुआवजा देने संबंधी दायित्व**
	12.1	एनईईएम प्रषिक्षु को उसके प्रषिक्षण के दौरान दुर्घटनावष यदि कोई चोट लग जाती है, जो एनईईएम सुविधा प्रदाता को इसके लिए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (समय–समय पर यथा संषोधित) के प्रावधानों के अनुसार एनईईएम प्रषिक्षु को निर्धारित मुआवजे का भुगतान करना होगा।
13.0		**आचरण एवं अनुशासन**
	13.1	एनईईएम प्रषिक्षु के आचरण एवं अनुषासन संबंधी सभी मामलों में एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा निर्धारित किये गये तथा/अथवा कंपनी/उद्योग, जहां पर प्रषिक्षु प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा है, के नियम एवं विनियम लागू होंगे।
14.0		**प्रशिक्षण उपरांत सहायता**
	14.1	सभी एनईईएम प्रषिक्षुओं को प्रषिक्षण अवधि के पूर्ण होने पर प्रषिक्षण पूरा करने संबंधी प्रमाणपत्र दिया जाएगा
	14.2	उन सभी एनईईएम प्रषिक्षुओं को, जो प्रषिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेते है तथा परीक्षा में निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा पार कर लेते हैं, को एनईईएम प्रषिक्षण की समाप्ति पर प्रषिक्षण कौषल निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का स्थान (ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन) एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा अधिसूचित किया जाएगा
15.0		**पारिश्रमिक/वृत्तिका (स्टाइपंड)**
	15.1	एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा सभी नामांकित एनईईएम प्रषिक्षुओं को अकुषल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के बराबर पारिश्रमिक/वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा

	15.2	पारिश्रमिक/वृत्तिका का भुगतान एकल समेकित राषि के तौर पर किया जाएगा। ऐसे भुगतान में नियमित कर्मचारियों के लिए लागू सांविधिक कटौतियां अथवा भुगतान जैसे कि भविष्य निधि (पी.एफ), ई.एस.आई इत्यादि लागू नहीं होंगे, क्योंकि एनईईएम अनुबंध के अनुसार इनको रोजगार पर नहीं, बल्कि प्रषिक्षण पर रखा गया है
16.0		**निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण/अभिलेख**
	16.1	एनईईएम सुविधा प्रदाता अथवा कंपनी अथवा उद्योग, जहां पर एनईईएम प्रषिक्षुओं को प्रषिक्षण दिया जा रहा है, वह उसका निर्दिष्ट पर्यवेक्षण प्राधिकरण होगा
	16.2	एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातषिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र में ऑनलाईन मासिक रिपोर्ट फाईल करेगा
	16.3	एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातषिप वेबपोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में एनईईएम प्रषिक्षु डाटा अपलोड करेगा
	16.4	एनईईएम सुविधा प्रदाता अभातषिप द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले सभी अतिरिक्त मानकों का अनुपालन सुनिषिचत करेगा
17.0		**शास्ति तथा पंजीकरण एवं अनुमोदन को वापस लेना**
	17.1	यदि कोई एनईईएम सुविधा प्रदाता इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो अभातषिप ऐसी जांच करके, जो वह उपयुक्त समझे तथा संबंधित एनईईएम सुविधा प्रदाता को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पष्चात्, एनईईएम सुविधा प्रदाता के पंजीकरण तथा उसको दिये अनुमोदन को रोक रखती है/वापस ले सकती है
	17.2	यदि किसी एनईईएम सुविधा प्रदाता का पंजीकरण तथा अनुमोदन रोका जाता है अथवा वापस लिया जाता है, वह एनईईएम सुविधा प्रदाता इसके रोके जाने अथवा वापस लिये जाने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दुबारा नया पंजीकरण कराने के लिए पात्र नहीं होगा
	18.0	**पंजीकरण की वैद्यता**
	18.1	पंजीकरण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक वैध है। प्रत्येक 3 वर्ष के पष्चात् पंजीकरण के विस्तार अथवा अन्य हेतु एनईईएम सुविधा प्रदाता के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए विधिवत् रूप से गठित की गई समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह खण्ड सभी सुविधा प्रदाता पर पूर्वव्यापी (रेट्रोइस्पैक्टीव) रूप से प्रचालित होगा।

प्रो. अलोक प्रकाष मित्तल, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./127/17]

शपथ पत्र

परिशिष्ट–I

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से ग्रहण करने हेतु 100/– रु. के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप <नाम>, अध्यक्ष, <न्यास/सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्री मैं/हम, आयु.....वर्ष तथा, निवासी ,<नाम, सचिव, <न्यास/सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्रीआयुवर्ष . तथा, निवासी, <नाम>, प्राचार्य/निदेशक/कुलसचिव, <न्यास, अथवा सोसायटी का नाम>, सुपुत्र श्री आयु.....वर्ष तथा, निवासी

एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु अभाति"ाप को किये गये अपने आवेदन दिनांक के संबंध हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा के साथ यह घोषित करते हैं कि :

1. मैं <पदनाम>, <आवेदक सोसाइटी/न्यास/कंपनी> हूँ
2. यह घोषणा, सूचना एवं प्रलेख अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशान (एनईईएम)} विनियम, 2017 के अंतर्गत एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण करवाने से संबंधित है।
3. अभातषिप को किये गये आवेदन में <नाम/मों> द्वारा दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है, इसमें कोई भी गलत सूचना नहीं दी गई है इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
4. यदि कोई सूचना गलत, अधूरी तथा भ्रामक पायी जाती है और/अथवा <नाम/मों> सभी सूचनाएं देने में असमर्थ रहते हैं और/अथवा किसी सूचना को छिपाते हैं और/अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो मैं/हम परिषद् द्वारा अभियोजित किया/ये जा सकता/ते हूँ/हैं।
5. परिषद् पंजीकरण का अनुमोदन वापस लेने सहित, <नाम/मों> और अन्य, जैसा भी मामलों हो, और/अथवा सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संषोधन के अंतर्गत स्थापित कम्पनी साथ सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध उचित समझे जाने वाली कोई भी कार्रवाई कर सकती है।
6. मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार इस शपथ पत्र में दिये गये तथ्य सही हैं। इसमें कोई सूचना गलत नहीं है तथा कोई भी बात छुपाई नहीं गई है।

(निष्पादनकर्ता का नाम, पदनाम तथा पता)
(मुहर)

अभिसाक्षी

सत्यापन

उपर्युक्त नामक अभिसाक्षी यह सत्यापित करते हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं। इनमें कोई गलत जानकारी नहीं है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

सत्यापित <स्थान का नाम तथा तिथि>

(निष्पादनकर्ता का नाम, पदनाम तथा पता)
(मुहर)

अभिसाक्षी

India Code

परिशिष्ट -II- एनईईएम प्रशिक्षु के साथ संविदा पत्र

दिनांक :

एनईईएम प्रषिक्षु सं.:

प्रिय

एनईईएम – प्रशिक्षु संविदा पत्र

हम आपको निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन एनईईएम प्रषिक्षु सहर्ष नियुक्त करते हैं :

1. प्रशिक्षण की अवधि ––––– माह होगी तथा यह ––––––– तारीख से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति की तारीख ––––––––– है।
2. एनईईएम सुविधा प्रदाता के लिए प्रषिक्षण की अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति होने पर प्रषिक्षुओं को अपनी स्थापना में किसी रोजगार की पेषकष करना अनिवार्य नहीं होगा और न ही एनईईएम प्रषिक्षु के लिए नियोक्ता के अधीन कोई रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा। चूंकि एनईईएम प्रषिक्षु किसी स्थापना में प्रषिक्षण प्राप्त कर रहा है, आप एक प्रषिक्षु होंगे न कि एक कर्मी, अतः श्रमिक अथवा कार्य के संबंध में किसी भी कानून के उपबंध आप पर अथवा आपके संदर्भ में लागू नहीं होंगे।
3. एक एनईईएम प्रषिक्षु के रूप में, आप आचरण, अनुषासन और सुरक्षा के सभी मामलों में एनईईएम नियमों और विनियमों का पालन करने के दायी होंगे तथा स्थापना के सभी विधिसम्मत आदेषों का अनुपालन करेंगे।
4. एक एनईईएम प्रषिक्षु के रूप में, आप अपने विषय–क्षेत्र का अध्ययन कर्त्तव्यनिष्ठा और परिश्रम के साथ करेंगे तथा नियमित रूप से प्रैक्टिकल और शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल होंगे।
5. एक एनईईएम प्रषिक्षु के रूप में आप एनईईएम प्रषिक्षण की अवधि के दौरान एनईईएम द्वारा तैयार और अनुमोदित तथा एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा अनु"ंसित प्रपत्र में अपने कार्य का रिकार्ड अनुरक्षित करेंगे।
6. जहां संविदा के निबंधनों को क्रियान्वित करने के संबंध में आपकी ओर से विफलता के लिए प्रषिक्षण की संविदा को समाप्त कर दिया जाता है, वहां आप प्रषिक्षण की लागत के रूप में उतनी राषि एनईईएम सुविधा प्रदाता को लौटाएंगे, जो एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। ऐसे मामले में, आप राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिषन (एनईईएम) के अंतर्गत प्रषिक्षण का कोई अन्य करार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. प्रशिक्षण की संविदा निम्न स्थितियों में एनईईएम प्रषिक्षु को प्रतिपूर्ति का भुगतान किए बिना समाप्त की जा सकती है –
 (i) यदि आप लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर लें (नियुक्ति पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर); और

 (ii) चिकित्सा आधार पर प्रषिक्षण जारी रखने में असमर्थ रहते हैं (किसी सरकारी अस्पताल के साथ संबद्ध सिविल सर्जन/सर्जन की पंक्ति से निम्न किसी चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)।
8. एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा संविदा के उल्लंघन करने पर, एनईईएम सुविधा प्रदाता आपको उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम वेतन के अनुरूप प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
9. वृत्तिका के भुगतान का जारी रहना प्रषिक्षण की अवधि के दौरान आपके संतोषजनक प्रदर्षन पर निर्भर करेगा।
10. एनईईएम सुविधा प्रदाता एनईईएम प्रषिक्षु के प्रषिक्षण के लिए 'प्रषिक्षण सामग्री' तैयार करेगा तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं करेगा।
11. एनईईएम प्रषिक्षु को उस स्थापना के विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुरूप प्रषिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें वह प्रषिक्षण के लिए सहयोजित है।
12. किसी माह–विशेष के लिए वृत्तिका का भुगतान आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व कर दिया जाएगा।

13. एनईईएम सुविधा प्रदाता तथा एनईईएम प्रषिक्षु के बीच संविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी असहमति अथवा विवाद को एनईईएम सुविधा प्रदाता के शासी निकाय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

पृष्ठांकन

मैं एतद्द्वारा उपर्युक्त एनईईएम संविदा पत्र को, उसमें विनिर्धारित निबंधन और शर्तों पर, स्वीकार करने की पुष्टि करता हूं। मैं समझता हूं और सहमत हूं कि मेरे द्वारा इस संविदा को हस्ताक्षरित किए जाने का आषय एनईईएम सुविधा प्रदाता द्वारा मुझे रोजगार प्रदान किया जाना अथवा रोजगार की कोई गारंटी दिया जाना नहीं है।

एनईईएम सुविधा प्रदाता के लिए **स्वीकार्य और सहमत**

———————————— ————————————

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षर : ————————————

तारीख :

नाम

IndiaCode

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2017

All India Council for Technical Education [National Employability Enhancement Mission (NEEM)] Regulations, 2017

F. No. 37-1/D-SDC/NEEM/2017–In exercise of its powers conferred under sub-section[1] of Section 23 read with Section 10 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in supersession of the All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulation, 2013 notified in the Gazette of India vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2013 dated 15th April, 2013 and "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulation, 2013 (1st Amendment) vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2014 dated 26th February, 2014," the All India Council for Technical Education makes the following Regulations :

1.0		**SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT**
	1.1	These Regulations may be called All India Council for Technical Education [National Employability Enhancement Mission (NEEM)] Regulations, 2017.
	1.2	These Regulations shall apply to any Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 /Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/Bodies of State Government /Government Institutes and Universities seeking registration as Facilitator under National Employability Enhancement Mission.
	1.3	These Regulations shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette.
2.0		**OBJECTIVES**
	2.1	The objective of National Employability Enhancement Mission (NEEM) is to offer on the job practical training to enhance employability of a person either pursuing his or her Post Graduation/graduation/diploma in any technical or non-technical stream or has discontinued studies after Class 10th to enhance his/her employability.
3.0		**ELIGIBILITY OF A NEEM FACILITATOR**
	3.1	Any Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 / Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time /Bodies of Central Government/ Bodies of State Government / Government Institutes and Universities shall be eligible to apply for registration as NEEM Facilitator.
	3.2	NEEM Facilitator shall be in the business of training for at least five years or the parent company under which a Section 25 Company /Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time, is formed to meet the objective of NEEM shall be in the business of training for at least five years.
	3.3	NEEM Facilitator shall have turnover and capacity to place students in registered companies or registered industries for the purpose of providing training under the objective of NEEM as per following:

S.No.	Turnover (in Crores) per year for the previous three financial years	Training Capacity Per Year
1	25 and above	5,000
2	15 – 25	3,000
3	5 - 15	1,000

	3.4	The NEEM Facilitator shall have to register with AICTE for being approved as NEEM Facilitator.

IndiaCode

	3.5	The NEEM Facilitator shall submit an affidavit as per proforma given in Appendix I for registration with AICTE in addition to the submission of online data for the purpose of such registration.
	3.6	The Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956/ Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time /Bodies of Central Government/ Bodies of State Government seeking registration as NEEM Facilitator shall submit an affidavit in the proforma appended to these Regulations stating that the information submitted by it in the application for registration is correct and if any information submitted by the applicant found incorrect in future, the NEEM Facilitator so registered on the basis of such information shall be liable for revocation or withdrawal of its registration and also penal and civil action.
	3.7	If any member of Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956/ Section 8 of Company Act, 2013 or as amended from time to time, or Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956/ Section 8 of Company Act, 2013 or as amended from time to time is facing any enquiry including a vigilance enquiry or if there is any criminal investigation/prosecution by police or CBI, then such Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956/ Section 8 of Company Act, 2013 or as amended from time to time, shall not be eligible to apply and seek registration and approval as NEEM Facilitator under these Regulations.
	3.8	Clause 3.2, 3.3 and 3.6 will not be applicable for Government Institutes/ Government Universities /Government Centres / Sector Skill Councils approved by Ministry of Skill Development and Entrepreneur, Government of India.
4.0		**ELIGIBILITY OF A TRAINEE UNDER NEEM**
	4.1	A person registered under this NEEM Regulation is called a Trainee under NEEM.
	4.2	A person seeking training under NEEM shall be at least 16 years of age and not more than 40 years of age as on the date of registration.
	4.3	A person seeking training under NEEM may either be pursuing his or her Post Graduation/ graduation/ Diploma in any technical or non-technical stream or may have discontinued studies after Class 10^{th}.
	4.4	Satisfies standards of physical fitness as prescribed by NEEM Facilitator.
5.0		**NORMS OF CONTRACT FOR IMPARTING TRAINING UNDER NEEM**
	5.1	A contract shall be signed between NEEM Facilitator and the NEEM Trainee to capture all terms & conditions which would govern the relationship.
	5.2	The NEEM training shall be deemed to have started from the date of joining of the NEEM Trainee as mentioned in the contract letter as per proforma given in Appendix II
	5.3	The NEEM contract shall not be either an offer of employment or a guarantee of employment.
	5.4	Any remuneration/stipend paid to a trainee is a consolidated amount not subject to any other deduction of payment as applicable in a regular employment.
6.0		**PERIOD OF TRAINING**
	6.1	NEEM training shall be in a registered company/Industry as registered with the NEEM Facilitator.
	6.2	NEEM training shall be for a minimum of 3 months and a maximum of 36 months and the trainings must be NSQF compliant.
	6.3	The duration of NEEM training shall be determined by the nature of Industry or trade where a NEEM trainee would be engaged for such training and shall be at the sole discretion of NEEM Facilitator.

India Code

7.0		**TERMINATION OF TRAINING CONTRACT**
	7.1	The contract of the training shall expire on the completion of training as mentioned in the contract letter signed between the NEEM trainee and NEEM Facilitator.
	7.2	Either party can terminate the contract by notifying in writing to the other party by giving a notice thirty days in advance.
	7.3	NEEM Facilitator can terminate the Training contract with the NEEM trainee on account of any unlawful behavior on the part of the NEEM trainee or on account of repeated flouting of company/Industry policies or for continuous irregularity in attending to the scheduled training as notified for the NEEM trainee.
	7.4	NEEM trainee can terminate the contract entered into with the NEEM Facilitator where the NEEM Facilitator fails to honour any of the terms of the contract by giving a written notice 30 days in advance to the NEEM Facilitator.
	7.5	The selection of a NEEM trainee does not constitute an employment contract with NEEM Facilitator or the company/Industry where the NEEM trainee is placed for training under the contract.
8.0		**DESIGNATED TRADES AND INDUSTRIES FOR THE PURPOSE OF TRAINING UNDER NEEM**
	8.1	Automobile and Auto component
	8.2	Chemicals and Pharmaceuticals
	8.3	Electronics and Hardware
	8.4	Textiles and Garments
	8.5	Leather and Leather Goods
	8.6	Gem and Jewellery
	8.7	Building and Construction
	8.8	Food Processing
	8.9	Handlooms and Handicrafts
	8.10	Real Estate, Building, Hardware and Home furnishings
	8.11	ITS or Software Services
	8.12	ITeS BPO Services
	8.13	Tourism Hospitality and Travel Trade
	8.14	Transportation, Logistics/Warehousing and Packaging
	8.15	Organized Retail
	8.16	Media, Entertainment, Broadcasting, Content Creation & Animation
	8.17	Healthcare Services
	8.18	Banking/Insurance & Finance
	8.19	Education /Skill Development Services
	8.20	FMCG, Consumer Durables Goods
	8.21	Telecom & Telecom Infrastructure
	8.22	Multi-Skill Manufacturing
	8.23	Any Other
9.0		**PRACTICAL AND BASIC TRAINIGN OF NEEM TRAINEES**
	9.1	Each NEEM trainee shall be provided comprehensive training in the trade by deployment in the premises of an employer/company/industry or in field operations depending on the trade selected.
	9.2	On the job training may be complemented by access to the cloud, satellite or such other facilities that NEEM Facilitator deems as appropriate for the training.
	9.3	NEEM trainees who undergo training in the NEEM project would be required to undergo related instruction and course curriculum devised under NSQF or as approved by National Skill Qualifications Committee (NSQC).

IndiaCode

	9.4	NEEM Facilitator will partner with various trainers and Employers/Company/Industry for the completion of training of NEEM trainees.
10.0		**HEALTH AND SAFETY AND WELFARE OF TRAINEES**
	10.1	NEEM Facilitator shall comply with the necessary provisions and the applicable Acts, to ensure welfare, safety and health aspects of the trainees while they undergo training.
11.0		**HOURS OF WORK, OVERTIME, LEAVE AND HOLIDAYS**
	11.1	Weekly and daily hours of work of a trainee while he /she undergoes training shall be as prescribed by the policy of the Employer/Company/Industry, where the trainee will be placed for the training.
	11.2	No trainee shall be required or allowed to be posted in the training beyond designated work hours, except with the approval of the designated supervisory authority.
	11.3	A Trainee shall be entitled to such leave as may be prescribed and to such holidays as are observed in the establishment where he is undergoing training.
12.0		**NEEM FACILITATOR'S LIABILITY FOR COMPENSATION FOR INJURY**
	12.1	If personal injury is caused to a NEEM trainee, by incident/accident arising out of and in the course of his training as a NEEM trainee, NEEM Facilitator shall be liable to pay compensation which shall be determined and paid, so far as may be, in accordance with the provisions of the Workman Compensation Act, 1923 as amended from time to time.
13.0		**CONDUCT AND DISCIPLINE**
	13.1	In all matters of conduct and discipline, the NEEM trainee shall be governed by the rules and regulations as may be prescribed by the NEEM Facilitator and or by the company/industry where the NEEM trainee will be placed for training.
14.0		**POST TRAINING SUPPORT**
	14.1	All NEEM trainees shall be given a training completion certificate at the end of training period.
	14.2	All NEEM trainees who complete the training program and reach the minimum threshold in the examination that may be prescribed shall be issued a training skill assessment certificate at the completion of NEEM training. The test location (online or offline) shall be notified by the NEEM Facilitator.
15.0		**REMUNERATION/STIPEND**
	15.1	NEEM Facilitator shall pay all enrolled NEEM trainees a remuneration/stipend which shall be at par with the prescribed minimum wages for unskilled category.
	15.2	Remuneration/ Stipend shall be paid as a single consolidated amount and such payment will not attract any statutory deductions or payments applicable to regular employees i.e. PF/ESI etc., since the NEEM contract assures training and does not constitute employment.
16.0		**DESIGNATED SUPERVISING AUTHORITY /RECORDS**
	16.1	The designated supervising authority shall be NEEM Facilitator or the company or the industry where the NEEM trainee will be placed.
	16.2	NEEM Facilitator shall file online monthly report in the format as prescribed by AICTE from time to time.
	16.3	NEEM Facilitator shall upload the NEEM trainee data on the AICTE web portal in the available formats thereon.
	16.4	NEEM Facilitator will comply with any additional norms/condition as notified by AICTE from time to time.
17.0		**PENALTY AND WITHDRAWAL OF REGISTRATION AND APPROVAL**

	17.1	If a NEEM Facilitator contravenes any of the provisions of these Regulations, the AICTE may, after making such enquiry, as it may consider appropriate and after giving NEEM Facilitator an opportunity for being heard, revoke/withdraw the registration and approval granted to such NEEM Facilitator.
	17.2	If the Registration and Approval of NEEM is revoked or withdrawn, the concerned NEEM Facilitator will not be eligible to apply for fresh registration for a period of at least 2 years from the date of such revocation or withdrawal.
18.0		**VALIDITY OF REGISTRATION**
	18.1	The Registration is valid for three years from the date of issue of letter of Registration. The performance of the NEEM Facilitator will be reviewed every three years or at any time during the three year period as may be decided by the Council by the duly constituted committee for the purpose of extension of Registration or otherwise. This Clause would operate retrospective to all Facilitators.

Prof. A.P. MITTAL Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./127/17]

IndiaCode

Appendix-I

AFFIDAVIT

Format of affidavit to be submitted by the applicant on a non-judicial stamp paper of Rs.100/- duly sworn before a First Class Judicial Magistrate or Notary or an Oath Commissioner, <name>, Chairman, <name of the Trust/Society>, son of I/We, aged ……years and, resident of ……..... <name>, Secretary, <name of the Trust/Society>, sonof…….. aged……..……..years and, resident of …….....

Or

<name>, Principal/Director/Registrar, <name of the Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 /Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/Bodies of State Government /Government Institutes and Universities, son of…….. aged …….....years and, resident of ……..... in connection with our application dated…… made to AICTE for, registration as NEEM Facilitator .
Hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am <designation>, <applicant Society/Trust/Company>
2. That the declaration, information and documents pertain to registration as NEEM Facilitator under the All India Council for Technical Education National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations, 2017.
3. That the information given by <name> in the application made to AICTE is true and complete. Nothing is false and no information has been concealed.
4. That if any of the information is found to be false, incomplete, misleading and/or that the <name> fail/s to disclose all the information and/or suppress any information and/or misrepresent the information. I/we shall be liable to be prosecuted by the Council.
5. That the Council shall also be free to take any action including withdrawal of approval of registration and/or any other action as deemed necessary against the <name/s> and others as the case may be and / or the individuals associated with the Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 /Section 8 of Company Act, 2013 or Relevant Act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/Bodies of State Government /Government Institutes and Universities.
6. That the facts stated in this affidavit are true to my / our knowledge. No pan of the same is false and no information has been concealed there from.

(Name, Designation and Address of the Executants)
(seal)

DEPONENT

VERIFICATION

I. The above named deponent do hereby verify that the facts stated in the above affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at <Name of the place> on this <date>

(Name, Designation and Address of the Executants)
(Seal)

DEPONENT

Appendix-II- CONTRACT LETTER WITH NEEM TRAINEE

Date:
NEEM Trainee no:

Dear,
NEEM-Trainee Contract Letter

We are pleased to engage you as NEEM Trainee subject to the following terms and conditions:

1. The period of training shall be ……. with start date …….and end date.
2. It shall not be obligatory on the part of the NEEM Facilitator to offer any employment to the apprentices on successful completion of period of training in his/her establishment nor shall it be obligatory on the part of the NEEM Trainee to accept any employment under the employer. As NEEM Trainee undergoing Training in an establishment you shall be a trainee and not a worker and as such, the provisions of any law with respect to a labourer or worker shall not apply to or in relation to you.
3. As NEEM Trainee you shall be liable to abide by the rules and regulations of NEEM in all matter of conduct, discipline and safety and carry out all lawful orders of the establishment.
4. As NEEM Trainee you shall learn your subject field conscientiously and diligently and attend to practical and instructional classes regularly.
5. As NEEM Trainee you shall maintain a record of your work during the period of the NEEM Training in a proforma prepared and approved by NEEM Facilitator.
6. When the contract of Training is terminated for failure on your part to carry out the terms of contract, you shall refund to the NEEM Facilitator as cost of training such amount as may be determined by the NEEM Facilitator. In such event, you shall not be entitled to enter into another contract of training under the National Employability Enhancement Mission (NEEM).
7. The contract of Training can be terminated without compensation payment to the NEEM Trainee-
 i. If you secure gainful employment (on production of copy of the appointment letter); and
 ii. If you are unable to continue training on medical grounds (on production of a certificate to this effect from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon/Surgeon attached to any Government Hospital).
8. For breach of contract by NEEM Facilitator, NEEM Facilitator shall pay compensation to you in accordance with the Minimum Wages specified for that Category.
9. Continuance of payment of stipend shall depend on your satisfactory performance during the training period.
10. NEEM Facilitator will formulate a 'Training Programme" for the training of NEEM Trainee and shall make suitable arrangements for facilitating the same.
11. NEEM Trainee shall be imparted training according to normal hours of work of the department in the establishment to which he/she is attached for training.
12. The Stipend for a particular month shall be paid before the 10th of the following month.
13. Any disagreement or dispute between NEEM Facilitator and the NEEM Trainee arising out of the Contract shall be referred to the Governing Body of NEEM Facilitator.

ENDORSEMENT

I hereby confirm acceptance of the above NEEM Contract letter, on the terms and conditions stipulated therein. I understand and agree that my signing this contract does not constitute employment by NEEM Facilitator or any guarantee of employment.

For NEEM FACILITATOR
……
Authorized Signatory
Signature:
Date:

Accepted and Agreed
……
…….

Name

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.03 19:05:42 +05'30'